वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2002–03)

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

फोन–0755–2762961, 5291999, फैक्स– 2766851

ई–मेल : `मबउचमतबण्ेंदबींतदमजण्पद

वैबसाइट : ू्ण्उचमतबण्वतह

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
01.	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग का संक्षिप्त विवरण –	
	(क) आयोग के गठन का उद्देश्य	03
	(ख) आयोग की स्थापना	04
	(ग) आयोग के अध्यक्ष व सदस्य	06
	(घ) स्टॉफ संरचना	08
	(ड.) आयोग की वेबसाईट	12
02.	राज्य सलाहकार समिति गठन एवं बैठकें	13
03.	वर्ष में आयोग की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	17
04.	आयोग द्वारा पारित परिवर्तनीय लागत समायोजन आदेश दिनांक 29 नवंबर, 2002 का सारांश :–	21
05.	आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 30 नबंवर, 2002 का सारांश	23
06.	प्रदेश के विद्युत क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य	28
07.	नियामक आयोग द्वारा सम्मेलन/वर्कशॉप में भागीदारी	32
08.	विद्युत रिफॉर्म (सुधार) की स्थिति	34
09.	वित्तीय वर्ष 2002–03 का लेखा विवरण	48
10.	अनुसूची क्रमांक 1 (कैप्टिव पावर संयंत्र – सहमति हेतु नियमन)	49

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002–03

1. आयोग का संक्षिप्त विवरण

(क) आयोग के गठन का उद्देश्य–

प्रत्येक क्षेत्र का विकास सुदृढ़ विद्युत प्रणाली पर निर्भर होता है, अतः विद्युत प्रणाली में सुधार अत्यंत आवश्यक समझा गया । विद्युत की दिन–प्रतिदिन तेजी से बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, विद्युत उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पारेषण, वितरण एवं आपूर्ति की प्रणाली में सुधार महत्वपूर्ण माना गया । सम्पूर्ण विद्युत प्रणाली को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से तथा विद्युत सेवा की गुणवत्ता व दक्षता में सुधार कर तथा युटिलिटि को वाणिज्यिक आधार पर संचालित कर सबसिडी पर निर्भरता को निरंतर कम करना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, टैरिफ का युक्तियुक्त रूप से निर्धारण करना, पारदर्शी लायसेंसिंग प्रक्रिया को अपनाना एवं विद्युत प्रदाय संस्था (यूटिलिटी) और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन स्थापित करना जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपाय आवश्यक समझे गये । इसके लिए एक स्वशासी विद्युत नियामक की स्थापना की गई है ताकि उपरोक्त दिशांतर्गत विद्युत सुधारों को शीघ्रातिशीघ्र लागू करना सुनिश्चित किया जा सके ।

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 9 व 19 में क्रमशः आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का विस्तृत विवरण है ।

:———:

(ख) आयोग की स्थापना –

टैरिफ के युक्तियुक्तपूर्ण निर्धारण, अनुदान पर निर्भरता को कम करना, विद्युत पारेषण, वितरण तथा प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना, विद्युत क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता हेतु मानकों को निश्चित करना, विद्युत उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, राज्य की विद्युत नीति में सहायता करना इत्यादि के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय और राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना संबंधी विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 बनाया गया । इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा तत्समय प्रभावशील केन्द्रीय अधिनियम, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन्स एक्ट, 1998 (वर्ष 1998 का क्रमांक 14) की धारा 17 (1) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5726–एफ–3–20–तेरह–98, भोपाल दिनांक 18 अगस्त, 1998 के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया । तदनुसार उक्त अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन दिनांक 20 अगस्त, 1998 से मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई ।

इसके पश्चात् मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत सुधार को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 वर्ष 2001) पारित किया जो दिनांक 3 जुलाई, 2001 से प्रभावशील किया गया । उक्त अधिनियम की धारा 3(4) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचना दिनांक 18.8.98 द्वारा जो राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया है यह आयोग इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु प्रथम आयोग माना जायेगा तथा आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा । आयोग राज्य में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकेगा । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोग प्रकरणों की सुनवाई व अन्य कार्यवाहियों का संचालन भोपाल में तथा राज्य के अन्य स्थानों पर भी कर सकेगा । आयोग को अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु अर्ध न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं । धारा 8 (3) के अनुसार अधिनियम में प्रावधान है कि आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि से भारित होंगे । वित्तीय कठिनाईयों के रहते आयोग अपनी कार्यवाहियों को मूर्त रूप देने में कठिनाईयों का सामना कर

रहा है । आयोग के पास वर्तमान में स्वयं का भवन नहीं है । आयोग का कार्यालय ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक प्रथम तल, शिवाजी नगर, भोपाल में दिनांक 1 जुलाई, 1999 से प्रारंभ हुआ । उक्त भवन किराये पर ऊर्जा विकास निगम से लिया गया है । द्वितीय तल पर कुछ अतिरिक्त स्थान आयोग को कार्यालय हेतु ऊर्जा विकास निगम ने इस वर्ष उपलब्ध कराया, किन्तु इसके बावजूद स्थानाभाव आयेाग की बड़ी समस्या है । आयोग के कार्यो में दिनोंदिन विस्तार के कारण स्टाफ में वृद्धि करना भी जरूरी है । इस समस्या के निदान हेतु आयोग ने शासन को नये भवन हेतु प्रस्ताव भेजे हैं ।

:———:

(ग) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य –

इस वर्ष में आयोग के पूर्व सदस्य द्वय श्री रबीन्द्र त्रिपाठी, सदस्य (इकानोमिक्स) एवं श्री एस. इकबाल हुसैन, सदस्य (पावर) का क्रमशः दिनांक 20 सितंबर, 2002 एवं 30 नवंबर ,2002 को कार्यकाल समाप्त हो गया । मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 169/एफ–3–56–तेरह–2002 दिनांक 8.1.2003 द्वारा श्री डी. रायबर्धन, पूर्व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (टैरिफ), मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को आयोग में सदस्य (अभियांत्रिकी) नियुक्त किया गया। श्री डी. रायबर्धन द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2003 (अपरान्ह) को सदस्य (अभियांत्रिकी) पद की शपथ ग्रहण कर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8550/एफ–3/06/13/2002 दिनांक 2.11.2002 द्वारा श्री आर. नटराजन, निदेशक (वित्त), एन.एच.पी.सी. को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सदस्य (इकॉनोमिक्स) नियुक्त किया गया है, किन्तु श्री आर. नटराजन द्वारा 31.03.2003 तक कार्यभार ग्रहण करना शेष था । आयोग में नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम एवं उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की दिनांक निम्नानुसार है :–

क्र.	नाम	पद	पदभार ग्रहण करने की दिनांक
1.	श्री प्रभात कुमार मेहरोत्रा	अध्यक्ष	14.03.2002
2.	श्री एस.इकबाल हुसैन	सदस्य (पावर)	(09.03.1999 से 30.11.2002 तक)
3.	श्री रबीन्द्र त्रिपाठी	सदस्य (इकॉनोमिक्स)	(01.04.1999 से 20.09.2002 तक)
4.	श्री डी. रायबर्धन	सदस्य (अभियांत्रिकी)	21.1.2003

श्री प्रभात कुमार मेहरोत्रा, अध्यक्ष – संक्षिप्त परिचय

दिनांक 14.3.2002 को श्री प्रभात कुमार मेहरोत्रा ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया । वे सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और प्रदेश एवं केन्द्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव पद से सेवा निवृत्त हुए थे । उन्होंने दिनांक 14.3.2002 को म.प्र. नियामक आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया ।

श्री डी. रायबर्धन, सदस्य (अभि.) – संक्षिप्त परिचय

श्री डी. रायबर्धन् – सदस्य (अभि.) का जन्म 1 जून, 1943 को हुआ था । इन्होंने सन् 1965 में बनारस विश्वविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग) की उपाधि प्राप्त की । आप 1965 से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की सेवा में आए । आपके द्वारा मण्डल में सहायक अभियंता से मुख्य अभियंता एवं कार्यपालक निदेशक तक विभिन्न पदों पर पूर्ण निष्ठा लगन एवं परिश्रम से सराहनीय कार्य किया गया । मंडल की सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् आपके द्वारा आयोग में 21 जनवरी, 2003 को सदस्य (अभियांत्रिकी) के रूप में पदभार ग्रहण किया ।

:———:

(घ) स्टॉफ संरचना –

इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन्स एक्ट, 1998 की धारा 21 व 3 जुलाई, 2001 से प्रभावशील विद्युत सुधार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के अनुसार आयोग, सचिव एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा जो आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण में विनियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं अन्य सेवा की शर्तें संबंधी विनियम आयोग द्वारा राज्य शासन की सहमति से स्वीकृत किये हैं जो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 कहलाये । उक्त विनियम की अधिसूचना क्रमांक 919–वि.नि.आ.–2001 दिनांक 9.10.2001 म. प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक 2.11.2001 से प्रभावशील किये गये हैं ।

आयोग में कार्यरत अधिकारियों के पदनाम निम्नलिखित तालिका में संकलित है :–

क्र.	नाम	पदनाम	पदभार ग्रहण करने की दिनांक
1.	श्री एच.डी. मोतीरमानी	संचालक (इंजी.)	24.07.2002
2.	श्री अशोक शर्मा	उप सचिव (उप सचिव एवं वित्त)	16.10.2000
3.	श्री डी.के. दीवान	संयुक्त संचालक(टैरिफ)	01.09.1999
4.	श्री एस.के. खियानी	उप संचालक (उत्पादन)	03.10.2000
5.	श्री डी.के. व्यास	उप संचालक (पारेषण)	11.09.2000
6.	श्री विजय क्षीरसागर	उप संचालक (उपभोक्ता सेवा)	20.02.2003
7.	श्री गजेन्द्र तिवारी	उप संचालक (वितरण)	13.03.2003
8.	श्री एल.पी. शर्मा	विधि सहायक (विधि)	26.06.1999
9.	श्री सुधाकर करमलकर	लेखाधिकारी (लेखा)	01.09.2000

आयोग में कार्यरत् अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय

श्री एच.डी. मोतीरमानी, संचालक (इंजी.)

श्री एच.डी. मोतीरमानी की शैक्षणिक योग्यता एम.ई. (आटोमेटिक कन्ट्रोल इंजी.), बी.ई. (इलेक्ट्रीकल), पी.जी.डी.बी.ए. है । इन्हें कंप्यूटर के उपयोग का भी अच्छा अनुभव है ।

श्री मोतीरमानी आयोग में 24 जुलाई, 2002 से संचालक (इंजी.) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं। इसके पूर्व मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में संचालक (वित्त) के पद पर दिनांक 21.04.01 से पदस्थ थे । इन्हें सहायक अभियंता से लेकर विभिन्न पदों पर कार्य करने का 31 वर्ष का अनुभव है ।

श्री डी.के. दीवान, संयुक्त संचालक –

श्री डी.के. दीवान की शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) है । म.प्र.विद्युत मण्डल की सेवा में सितंबर 1969 से सेवारत हैं । इन्होंने वर्ष 1997 से 1999 तक मंत्रालय स्थित ऊर्जा विभाग में कार्य किया । श्री दीवान को मण्डल के वाणिज्य विभाग में भी कार्य का पर्याप्त अनुभव है । श्री दीवान दिनांक 30.9.2001 से अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं इसके पश्चात् दिनांक 31.12.2002 से मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत हुए । श्री दीवान आयोग में 1 सितंबर, 1999 से संयुक्त संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हैं ।

श्री अशोक शर्मा, उप सचिव –

श्री अशोक शर्मा, की शैक्षणिक योग्यता बी.ई (सिविल) है । श्री शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल में वर्ष 1985 में सहायक अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया । मण्डल में टोंस जल विद्युत परियोजना में सिविल कार्य में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ रहे तथा मार्च 2000 में कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नत हुए । आयोग में अक्टूबर, 2000 से प्रतिनियुक्ति पर उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं ।

श्री एस.के. खियानी, उप संचालक –

श्री सुरेश कुमार खियानी ने वर्ष 1980 में म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । वर्ष 1994 में आप कार्यपालन अभियंता एवं 1998 में अति. अधीक्षण यंत्री के पद पर पदोन्नत हुए । आपने रीजनल इंजीनियरिंग कालेज भोपाल से वर्ष 1978 में बी.ई. एवं वर्ष 1995 में जल विद्युत में स्नातकोत्तर (एम–टेक) की उपाधि प्राप्त की । श्री खियानी म.प्र. विद्युत मण्डल के अतिरिक्त नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं ऊर्जा विभाग म.प्र.शासन में भी अपनी सेवाऐं प्रदान कर चुके हैं । सितम्बर 2000 से म.प्र. विद्युत नियामक आयोग में उप संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ।

श्री दीपक व्यास, उप संचालक–

श्री दीपक व्यास की शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (इलेक्ट्रीकल) तथा डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है। मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के केन्द्रीय कार्यालय जबलपुर में पारेषण तथा परियोजना विभाग में सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त कार्यपालन अभियंता के पद पर कार्य किया । विशेषतः पारेषण से संबंधित प्रणाली में उत्तरोत्तर सुधार हेतु पावर फायनेंस कार्पोरेशन की स्कीमों को अंजाम दिया । सितंबर, 2000 से म.प्र. विद्युत नियामक आयोग में उप संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ।

श्री विजय क्षीरसागर, उप संचालक –

श्री विजय क्षीरसागर की शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (आनर्स) इलैक्ट्रीकल है । श्री क्षीरसागर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में दिनांक 20.02.1979 को सहायक यंत्री के पद पर नियुक्त किये गये एवं वर्ष 1997 में कार्यपालन अभियंता व वर्ष 1998 में अति. अधीक्षण यंत्री के पद पर पदोन्नत हुए। इन्हें मण्डल में कार्यालय तथा मैदानी स्तर के अनेक पदों पर कार्य करने का 24 वर्ष का अनुभव प्राप्त है । इन्होंने विद्युत संचालन, संधारण एवं वितरण तथा विशेषतः राजस्व के क्षेत्र में कार्य किया । दिनांक 20.02.03 को आयोग में उप संचालक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर पदभार ग्रहण किया ।

श्री गजेन्द्र तिवारी, उप संचालक –

श्री गजेन्द्र तिवारी की शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (इलेक्ट्रीकल), एम.टेक (एच.ई.ई.) एवं पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा इन फाइनेंस एण्ड टेक्सेशन मेनेजमेंट है ।

श्री तिवारी ने दिनांक 26.08.1988 को मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल में ग्रेज्यूएट ट्रेनी के रूप में पद संभाला एवं सहायक अभियंता व अतिरिक्त कार्यपालन अभियंता के पद पर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में कार्यरत रहे । इन्हें विद्युत लाईन निर्माण, संचालन एवं संधारण के कार्य का अनुभव है। अतिरिक्त कार्यपालन अभियंता के पद पर विद्युत वितरण एवं राजस्व मामलों का अनुभव प्राप्त है। दिनांक 13.03.2003 को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर उप संचालक का पद ग्रहण किया ।

श्री एल.पी. शर्मा, विधि सहायक –

श्री एल.पी. शर्मा की शैक्षणिक योग्यता एम.कॉम, एल.एल.बी. है । श्री शर्मा मूलतः राज्य प्रशासनिक सेवा (संयुक्त कलेक्टर) के सेवानिवृत्त अधिकारी है । श्री शर्मा को तहसील, जिला कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के अतिरिक्त राज्य मंत्रालय में ऊर्जा विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग में अवर सचिव के पद पर कार्य करने का 33 वर्ष का अनुभव है । श्री शर्मा आयोग में 26 जून, 1999 से संविदा सेवा पर कार्यरत् हैं ।

श्री सुधाकर करमलकर, लेखाधिकारी (लेखा) –

श्री सुधाकर करमलकर ''म.प्र. वित्त एवं लेखा सेवा'' के सदस्य हैं तथा विकास आयुक्त, म.प्र. भोपाल कार्यालय से लेखाधिकारी के पद से सेवा–निवृत्त हुए । आयोग में दिनांक 1.9.2000 से पदस्थ हैं ।

(ड.) आयोग की वेबसाईट –

आयोग की वेबसाईट ूण्उचमतबण्वतह है जिसमें आयोग के गठन, कर्तव्य, विनियम, टैरिफ फिलासफी, याचिकाओं से संबंधित व्यापक जानकारी जन सामान्य की जानकारी हेतु उपलब्ध कराई गई है । उक्त वेबसाईट की अन्य विशेषताऐं निम्नानुसार हैं :–

(क) आयोग की स्थापना से संबंधित मूल अधिनियम, वर्ष 2002–2003 के लिए आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश ।

(ख) आयोग द्वारा जारी विनियम,

(ग) शेड्यूल ऑफ हीयरिंग, आयोग द्वारा पारित प्रमुख आदेश

(घ) केप्टिव पावर संयंत्र संबंधी म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (स्थापना/नवीनीकरण हेतु सहमति प्रदान करना) विनिमय 2002 एवं आवेदन पत्र, शपथ पत्र का प्रारूप

(ड.) देश के अन्य राज्यों में स्थापित राज्य विद्युत नियामक आयोगों को लिंक करने की सुविधा भी इस वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

2. राज्य सलाहकार समिति का गठन एवं बैठक –

मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 वर्ष 2001) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक 446–21–टी–एमपीईआरसी–2000–2001, दिनांक 14 मई, 2001 को अधिक्रमित करते हुए एतद द्वारा नवीन राज्य सलाहकार समिति का गठन दिनांक 15.5.2002 द्वारा तीन वर्ष के लिए किया गया है जिसे मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 1.6.2002 से लागू किया गया है ।

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे । इसके अतिरिक्त, प्रमुख सचिव, ऊर्जा तथा अध्यक्ष, म.प्र. विद्युत मण्डल के अलावा 10 अन्य सदस्य बनाये गये हैं जिसमें वाणिज्यिक उद्योग, परिवहन, श्रम, कृषि शैक्षणिक निकाय, उपभोक्ता आदि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है । सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है :–

क्रमांक	नाम तथा पता	समिति में पद	वर्ग
1.	श्री पी.के मेहरोत्रा, अध्यक्ष म.प्र. विद्युत नियामक आयोग.	पदेन अध्यक्ष	विद्युत नियामक आयोग
2.	श्री डी. रायबर्धन, सदस्य (अभि.) म.प्र. विद्युत नियामक आयोग.	पदेन सदस्य	विद्युत नियामक आयोग
3.	डॉ. वीरेन्द्र के. गंगवाल, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर.	सदस्य	वाणिज्य एवं उद्योग
4.	श्री एस.सी. भार्गव, उपाध्यक्ष, फेडरेशन आँफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, भोपाल.	सदस्य	वाणिज्य एवं उद्योग
5.	श्री पी.एस. कालानी, अध्यक्ष, आल इण्डिया मेन्यूफेक्चिरिंग आर्गनाईजेशन एम.पी. स्टेट बोर्ड 11,	सदस्य	वाणिज्य एवं उद्योग

तुकोगंज, मेन रोड, इन्दौर.

क्रमांक	नाम तथा पता	समिति में पद	वर्ग
6.	कार्यपालक निदेशक, बी.एच.ई.एल. भोपाल.	सदस्य	बड़ा उद्योग
7.	मुख्य विद्युत अभियंता, सेन्ट्रल रेलवे, द्वितीय मंजिल, पार्सल आफिस बिल्डिंग, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई.	सदस्य	परिवहन
8.	श्री डी.पी. पाठक, महासचिव, एम.पी.व्ही. के. संघ (फेडरेशन), जबलपुर.	सदस्य	श्रम
9.	श्री अम्बाराम मुकाती, बोरलाय, बड़वानी.	सदस्य	कृषि
10.	प्राचार्य / विभागाध्यक्ष (विद्युत) एम.ए.सी.टी., भोपाल.	सदस्य	शैक्षणिक एवं अनुसंधान निकाय
11.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.	सदस्य	ऊर्जा विभाग
12.	आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर.	सदस्य	स्थानीय निकाय
13.	कर्नल जी.के. पाण्डेय (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, विकास जागृति समिति, 269–270, जोन–2, एम.पी. नगर, भोपाल.	सदस्य	उपभोक्ता / एन.जी.ओ.
14.	अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल,	सदस्य	यूटीलिटी

जबलपुर.

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राज्य सलाहकार समिति के कृत्य निम्नानुसार हैं :–

(क) राज्य में विद्युत उद्योग से संबंधित नीति के प्रमुख प्रश्नों पर आयोग को सलाह देना, और,

(ख) ऐसे मामलों पर आयोग को सलाह देना जो कि आयोग उसके समक्ष रखे, जिसमें अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विस्तार तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों और अपेक्षाओं के अनुपालन से संबंधित मामले भी सम्मिलित हैं ।

आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति के कार्य संचालन हेतु पृथक से मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किये हैं ।

उपरोक्त राज्य सलाहकार समिति की प्रथम बैठक दिनांक 17.7.2002 को आयोजित की गई । बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई –

(1) मीटरिंग, मीटर रीडिंग तथा विद्युत बिलों में सुधार ।

(2) पारेषण एवं वितरण हानि को कम करने हेतु विद्युत मण्डल द्वारा किये गये प्रयास।

(3) मण्डल द्वारा तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि में कमी तथा बिलों की बकाया राशि की वसूली के प्रयास ।

(4) राज्य में विद्युत की गुणवत्ता तथा उपलब्धता ।

इसी प्रकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 24.10.2002 को आयोजित की गई जिसमें वर्ष 2002–2003 के विद्युत दर प्रस्तावों पर चर्चा की गई ।

उक्त बैठकों में उपस्थित सदस्यों ने विद्युत क्षेत्र में आवश्यक सुधार हेतु तथा म.प्र. विद्युत मण्डल के कार्यों में सुधार हेतु अनेक सुझाव दिये हैं । मुख्य सुझाव निम्नानुसार हैं :–

(1) रूपये 5 –10 हजार से अधिक के बिलों का वितरण कोरियर से करने की व्यवस्था की जाना चाहिए ।

(2) केप्टिव पावर प्लांट की सहमति की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ।

(3) छोटे निम्न दाब उपभोक्ताओं को सामूहिक केप्टिव पावर प्लांट लगाने की अनुमति होना चाहिए ।

(4) विद्युत दरों में क्रास सब्सिडी को स्वीकार्य स्तर तक कम किया जावे ।

(5) अधिक पारेषण वितरण हानि वाली विद्युत लाइनों का जनसाधारण की सूचना हेतु समुचित प्रचार एवं प्रसार किया जावे तथा खपत कम करने हेतु जनता को जागरूक करें ।

(6) केले की फसल हेतु गर्मी में सिंचाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । विद्युत कटौती कम की जाए ।

(7) बिलों में उपभोक्ताओं की जानकारी का पूरा उल्लेख नहीं किया जाता । साथ ही ईंधन प्रभार तथा ड्यूटी प्रभार का भी उल्लेख नहीं किया जाता । बिल पठनीय होना चाहिए ।

(8) मण्डल को शिकायत निवारण प्रक्रिया एवं मीटर तथा बिलिंग के विनियमों के प्रस्ताव बनाकर आयोग को प्रस्तुत करना चाहिए ।

(9) विद्युत दरों को विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता तथा निरंतरता से जोड़ा जाए ।

(10) केप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने हेतु 50 प्रतिशत मण्डल की विद्युत उपयोग की शर्त को हटाया जाए ।

(11) औद्योगिक उपभोक्ताओं की संविदा मांग मण्डल द्वारा कम न किये जाने की समस्या का निराकरण किया जाए ।

(12) कृषि उपभोक्ताओं हेतु मीटरों का सामूहिक बीमा कराया जाए जिससे मीटर जलने अथवा चोरी जाने पर उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार न पड़े ।

(13) मण्डल का टैरिफ प्रस्ताव जिला स्तर पर भी उपलब्ध कराया जाए ।

(14) संबद्ध विद्युत भार को परिभाषित किया जाए ।

(15) प्रदेश में विद्युत मांग तथा विद्युत उत्पादन में सामजस्य हेतु अगले 5–10 वर्ष की समयावधि के लिए एक योजना बनाई जाये ।

(16) रेलवे ट्रैक्शन टैरिफ को कम किया जाए ।

3. वित्तीय वर्ष 2002–03 के दौरान आयोग की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण :–

वित्तीय वर्ष 2002–03 की अवधि में आयोग द्वारा कुल 79 सुनवाईयां की गई । इस समयावधि में आयोग के समक्ष प्रस्तुत आवेदन/याचिकाओं की संख्या तथा उनके निराकरण की स्थिति निम्नानुसार रही –

क्र.	विवरण	वर्ष 2002–03 में प्राप्त संख्या	वर्ष 2002–03 में निराकृत प्रकरणों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या
1.	याचिकाऐं	388	206	182
2.	आवेदन पत्र	1505	1250	255
3.	शिकायतें	271	223	48

आयोग के समक्ष जो याचिकाऐं प्रस्तुत हुई उनमें से टैरिफ निर्धारण संबंधी याचिका, परिवर्तनीय लागत समायोजन संबंधी याचिका, विद्युत वितरण के विनियमन संबंधी याचिका, विद्युत पारेषण/वितरण की अनुज्ञप्ति प्रदान करने संबंधी याचिका, विद्युत दर पुनरीक्षण याचिका आदि प्रमुख हैं ।

साथ ही मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम की धारा 21 (3) के अंतर्गत केप्टिव पावर प्लांट/डी.जी. सेट की स्थापना की सहमति प्रदान करने हेतु 1500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1250 का निराकरण किया गया। टैरिफ संबंधी आदेश का विवरण पृथक से दिया गया है ।

लंबित याचिकाओं में अधिकांश आयोग के आदेश के पुनरीक्षण से संबंधित हैं । साथ ही अन्य लंबित याचिकाओं में संविदा मांग को कम करने, गलत बिलिंग,

विजिलेंस/आडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि वसूली आदि से संबंधित हैं । उक्त बड़ी मात्रा में याचिका लंबित होने के कारणों में एक मुख्य कारण यह भी रहा कि आयोग के एक सदस्य का पद लगभग दो माह तक तथा दूसरे सदस्य का पद गत 6 माह से रिक्त था ।

उक्त अवधि में आयोग द्वारा याचिका/आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा एवं भोपाल आदि स्थानों पर भ्रमण कर जन सुनवाई की गई तथा जल विद्युत उत्पादन केन्द्र सिरमौर का निरीक्षण भी किया गया ।

उक्त अवधि में आयोग द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु सहमति प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (केप्टिव पावर संयत्र हेतु सहमति प्रदान करना) विनियम, 2003 बनाया गया जिसे मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिनांक 7.3.2003 से प्रभावशील किया गया है । उक्त विनियम के मुख्य बिंदु अनुसूची – 3 में दर्शाये गये हैं । इसी प्रकार आयोग की अधिसूचना क्रमांक 3531 दिनांक 19 जुलाई, 2002 द्वारा पूर्व अधिसूचना क्रमांक 592 दिनांक 14.2.2002 में संशोधित करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम (संशोधित) राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 19.8.2002 से लागू किये गये ।

टैरिफ आदेश – मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 2002–2003 हेतु मई, 2002 में आयेाग के समक्ष म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम 2000 की धारा 9 एवं 26 के अधीन उच्चदाब एवं निम्नदाब के विभिन श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका प्रस्तुत की । आवश्यक जनसुनवाई व प्रस्तुत टैरिफ प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 264/02 में दिनांक 30.11.2002 को टैरिफ आदेश पारित किया गया जिसे मण्डल द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित करने के 7 दिन पश्चात् दिनांक 19.12.2002 से लागू किया गया । उक्त आदेश का विवरण पृथक से इस प्रतिवेदन में दिया गया है ।

विद्युत वितरण विनियमन आदेश 2002 – प्रदेश में विद्युत मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर होने व कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम विद्युत प्रदाय सुनिश्चित

करने हेतु विद्युत वितरण आदेश लागू किया गया । आयोग द्वारा आदेश दिनांक 7 सितंबर, 2002 को संशोधित विद्युत नियमन आदेश पारित किया जो प्रत्येक जिले के शहरी व ग्रामीण फीडर्स की अंडर फ्रिक्वेंसी लोड शेडिंग योजना से संबंधित है । तदनुसार उक्त फीडर्स पर अवर आवृत्ति भार राहत योजना (अंडर फ्रीक्वैन्सी लोड रेगूलेटरी प्लान) के अनुसार प्रत्येक सप्ताह के निश्चित दिनों में लोड शेडिंग कर प्रणाली का संचालन किया जायेगा । दिनांक 21 जनवरी, 2002 को राज्य में अंडर फ्रिक्वेंसी लोड शेडिंग को युक्ति संगत करने हेतु यह आदेश जारी किया गया है । उक्त आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं –

1. ग्रामीण 11 के.वी. संभरकों को 'ए' एवं 'बी' दो समूहों में विभाजित किया गया है एवं 'ए' समूह में प्रातः 6 से दोपहर 12 बजे तक एवं 'ब' समूह में दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक विद्युत प्रदाय किया जायेगा । शाम 6 बजे से दूसरे दिन प्रातः 6 बजे तक दोनों समूहों को यथा–संभव सिंगल फेज विद्युत प्रदाय किया जायेगा । विद्युत उपलब्धता की स्थिति अनुसार मध्य रात्रि से प्रातः 5 बजे तक तीन फेज पर भी यथा–संभव प्रदाय किया जा सकेगा ।

2. 11 के.वी ग्रामीण संभरकों पर सप्ताह में एक रोज दिन में विद्युत प्रदाय नहीं किया जायेगा ।

3. आदेश में निर्धारित समय पर प्रतिदिन संभागीय मुख्यालय पर 2 घंटे, जिला मुख्यालय पर 3 घंटे व तहसील मुख्यालयों पर 4 घंटे घोषित लोड शेडिंग की जायेगी । किन्तु विद्युत उपलब्धता की स्थिति में उक्त नियोजित विद्युत कटौती से छूट दी जा सकेगी ।

4. अधिकतम मांग की अवधि में माह अक्टूबर से मार्च तक शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक एवं अप्रैल से सितंबर तक शाम 7 से रात 11 बजे तक, उत्पादन कार्य हेतु उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपभोग पर प्रतिबंध रहेगा । इसी प्रकार उत्पादन, वर्कशॉप एवं फेब्रीकेशन वाले निम्नदाब उपभोक्ताओं पर भी उपरोक्त अवधि में विद्युत उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा । फ्लोर मिल हेतु प्रतिबंधित समय शाम 7.30 बजे से रात 10 बजे तक हेागा ।

5. पश्चिम क्षेत्र लोड डिस्पेच केन्द्र के निर्देशों के अनुसार फ्रिक्वेंसी को नियमित करने हेतु मण्डल अघोषित विद्युत कटौती कर सकेगा ।

6. आयोग द्वारा मण्डल को घोषित/अघोषित विद्युत वितरण विनियमन आदेश में आवश्यकतानुसार अधिकतम 7 दिनों तक छूट देने हेतु अधिकृत किया गया था जिसे बढ़ाकर 30 दिन किया गया है ।

7. इसके पश्चात् विद्युत उपलब्धता में कमी होने व कृषि का भार कम होने के कारण मंडल के प्रस्ताव पर आयोग द्वारा विचार करने के उपरान्त ग्रामीण 11 के.वी.ए. के 'ए' एवं 'बी' समूहों के संभरकों पर विद्युत प्रदाय 6 घंटे के बजाय 4 घंटे देने का आदेश दिया । इसी प्रकार प्रदेश के जिलों में अधिकतम मांग की अवधि में (शाम 7 से रात्रि 11 बजे के बीच) सप्ताह में चार दिन 2 घंटे की विद्युत कटौती हेतु आदेश दिया गया ।

8. मण्डल को यह भी निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिलों की पारेषण एवं वितरण हानियों की जानकारी एकत्रित की जावे तथा जिन जिलों में 40 प्रतिशत से कम पारेषण एवं वितरण हानियां होती है, उन जिलों में कम अवधि की विद्युत कटौती एवं जिन जिलों में 40 प्रतिशत से अधिक हानि हो उन जिलों में अधिक अवधि की विद्युत कटौती करने संबंधी सुझाव का परीक्षण कर प्रस्तुत करें ।

:———:

4. परिवर्तनीय लागत समायोजन के निर्धारण हेतु आयोग द्वारा पारित आदेश पर संक्षिप्त टीपः

मध्यप्रदेश में विद्युत उत्पादन मुख्यतः कोयला आधारित परियोजनाओं द्वारा किया जाता है । कोयले की लागत में परिवर्तन के कारण विद्युत मण्डल पर व्यय का अतिरिक्त बोझ पड़ता है । कोयले की लागत में परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, अतः मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा 76.59 पैसे की दर से उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों से ईंधन लागत समायोजन शुल्क लिया जा रहा था । मण्डल द्वारा मार्च 1999 में विद्युत दरों के निर्धारण हेतु पारित आदेश में ईंधन लागत समायोजन शुल्क उपभोक्ताओं की अतिरिक्त श्रेणियों (घरेलू एवं पावर लूम) से भी 65 पैसे प्रति इकाई की दर लिया जाने लगा ।

2. ईंधन लागत समायोजन का पुनर्निर्धारण जून, 1999 के उपरान्त आयोग द्वारा इस कारण अमान्य किया गया कि ईंधन लागत समायोजन सूत्र आधुनिक विद्युत संयंत्रों की कार्य दक्षता पर आधारित नहीं है । हालांकि आयोग ने अपने विद्युत दर आदेश 2001–02 में मण्डल को यह निर्देश दिये कि वह ईंधन लागत समायोजन का पुनरीक्षित प्रस्ताव, वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर प्रस्तुत करे । इसके पालन में मण्डल द्वारा ईंधन लागत समायोजन शुल्क एवं इसके सूत्र के निर्धारण हेतु याचिका प्रस्तुत की । इस याचिका में ईंधन शुल्क समायोजन के दायरे में ईंधन के अतिरिक्त विद्युत क्रय, जल शुल्क, कर, इत्यादि भी सम्मिलित किये गये । दायरे में वृद्धि के कारण मण्डल द्वारा ईंधन शुल्क समायोजन का नाम परिवर्तनीय लागत समायोजन (प.ला.स.) प्रस्तावित किया गया ।

3. आयोग द्वारा याचिका प्राप्त करने के उपरान्त मण्डल से दिनांक 26.6.02 को याचिका के तकनीकी, वित्तीय एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार किया गया । तदुपरान्त दिनांक

30.9.02/1.10.02 को इसे प्रकाशित कर जनता की आपत्तियां आमंत्रित की गईं । याचिका की प्रतिलिपियां जनता को उपलब्ध कराईं गईं, एवं दिनांक 13.10.02 को जन–सुनवाई रखी गई । आयोग द्वारा विचार विमर्श, जनता से आपत्तियां एवं जन–सुनवाई के मद्दे नजर दिनांक 29.11.03 को प.ला.स. शुल्क निर्धारण हेतु आदेश जारी किया गया ।

परिवर्तनीय लागत समायोजन का सूत्र निम्नानुसार है :–

सिद्धांतों पर आधारित परिवर्तनीय लागत समायोजन की कुल राशि/

परिवर्तनीय लागत समायोजन दर त्र

ग 100

(पैसे प्रति यूनिट)

विद्युत विक्रय (कि.वा.घ.)

परिवर्तनीय लागत समायोजन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. ईंधन, विद्युत क्रय, जल–शुल्क, कर एवं ऐसे शुल्क जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्यय जिनका प्रावधान विद्युत दर आदेश में नहीं किया गया है को प.ला.स. में सम्मिलित किया गया है ।
2. मण्डल द्वारा दण्ड स्वरूप, विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज एवं संचालन अदक्षता के कारण होने वाले व्यय को प.ला.स. में सम्मिलित नहीं किया गया है ।
3. आयोग द्वारा विद्युत दर आदेश में तय किये गये मापदण्ड के आधार पर ही प.ला.स. शुल्क का निर्धारण किया जायेगा ।
4. प.ला.स. शुल्क दाह भट्टियों (क्रिमेटोरियम) एवं सीमावर्ती गांवों की श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर लागू होगा ।
5. प.ला.स. शुल्क पर विचार विद्युत दर आदेश के दिनांक के 6 महीने के उपरान्त ही किया जायेगा ।

6. परिवर्तनीय लागत समायोजन की राशि का निर्धारण विद्युत नियामक आयोग सुनिश्चित करेगा ।

:———:

5. टैरिफ पुनरीक्षण याचिका का आयोग द्वारा परीक्षण एवं दिनांक 30.11.02 को पारित आदेश का सारांश –

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 2002–03 हेतु टैरिफ पुनरीक्षण याचिका दिनांक 20.5.02 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयोग ने याचिका की प्रारंभिक जाँच कर दिनाँक 9 एवं 10 अगस्त, 2002 को आंकड़ों की तकनीकी प्रमाणिकता के परीक्षण हेतु सत्र का आयोजन किया, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया । अपूर्ण आंकड़ों के मद्देनजर मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को 26 अगस्त, 2002 तक सही एवं पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । मण्डल द्वारा जानकारी 23 सितम्बर, 2002 को प्रस्तुत की गई एवं इसकी जाँच कर आयोग ने दिनांक 25 सितम्बर, 2002 को इसे याचिका क्रमांक 264/02 के रूप में स्वीकार करने का आदेश पारित किया ।

आयोग ने विज्ञप्ति का प्रकाशन कर टैरिफ प्रस्ताव पर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित कीं ।

आयोग में 1,526 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें से सर्वाधिक 1,411 इन्दौर संभाग से प्राप्त हुईं । कृषि क्षेत्रों से 1,315 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुईं । आपत्तिकर्ताओं को समक्ष में सुनने हेतु दिनांक 28 अक्टूबर से 11 नवम्बर, 2002 तक इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा एवं भोपाल में जन–सुनवाई की गई । आयोग की राज्य–स्तरीय सलाहकार समिति की

बैठक दिनांक 24.10.02 को आयोजित कर सदस्यों से याचिका पर एवं अन्य संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श किया गया ।

आयोग द्वारा अपने कंसल्टेंट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में मीटर रहित पंपों द्वारा विद्युत खपत का आँकलन एवं अन्य कार्य करवाये गये जिनका टैरिफ निर्धारण में समावेश किया गया ।

मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार थीं :–

1. वर्ष 2002–03 के लिए रू. 6,023.80 करोड़ के राजस्व की आवश्यकता का अनुमान प्रस्तुत किया गया । वर्तमान दर पर रू. 4,029.15 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाते हुए रू. 1,994.65 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया, जिसमें से रू. 999.20 करोड़ की विद्युत दर में वृद्धि करना प्रस्तावित किया गया था । शेष रू. 995.45 करोड़ में से रू. 541.11 की पूर्ति मण्डल के कार्य में सुधार एवं विद्युत शुल्क रखकर की जाना प्रस्तावित कर रू. 454.34 करोड़ का अन्तर छोड़ दिया गया । इस राशि को मण्डल ने रेगुलेटरी एसेट के रूप में रखा जाना प्रस्तावित किया, जिसकी वसूली अगले 3–4 वर्ष में विद्युत दर से की जाना प्रस्तावित की गई ।
2. वर्ष 2001–02 हेतु 42.88 प्रतिशत पारेषण वितरण हानि के लक्ष्य की प्राप्ति न करने का कारण 10 विद्युत सहकारी संस्थाओं को वापस लेना बताया गया एवं वर्ष 2002–03 के लिए 44 प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियों का लक्ष्य प्राप्त कर सकना बताया गया ।
3. मण्डल ने ज्पउम वि जीम कंल के स्थान पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त च्मां सवंक ैनतबींतहम लेने का प्रस्ताव दिया, जिसमें गैर–घरेलू कनेक्शन भी शामिल किये गये ।

4. निम्न दाब कनेक्शनों के देरी से भुगतान पर सरचार्ज में कमी प्रस्तावित की गई ।
5. ईंधन समायोजन प्रभार को टैरिफ दर में शामिल करने का प्रस्ताव दिया ।
6. कृषि पम्पों पर फसल चक्र के अनुसार विद्युत दर प्रस्तावित की गई ।
7. 100 अश्व शक्ति से ऊपर निम्न दाब कनेक्शनों को उच्च दाब में परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया ।
8. निम्न दाब दर 50.05 प्रतिशत एवं उच्च दाब दर 3.92 प्रतिशत, इस प्रकार 24.8 प्रतिशत सकल विद्युत दर बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई ।

9. उपभोक्ताओं को पासबुक जारी करने के निर्देश दिये ।

विद्युत देयकों के सरलीकरण एवं उपभोक्ताओं को पासबुक जारी करने सम्बंधी विवरण निम्नानुसार है –

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी के प्रयास के तहत आयोग द्वारा विद्युत बिलों के वर्तमान स्वरूप को सरलीकृत करने हेतु प्रक्रिया अपने अन्तिम चरण में है । विद्युत बिलों के सरलीकृत प्रारूप का अन्तिम रूप जारी कर दिया गया है । इस पर म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अमलीकरण शीघ्र ही होना है । इसके जारी होने पर उपभोक्ताओं को अपने विद्युत बिलों के विभिन्न विद्युत प्रदायों के निर्धारण की गणना समझना आसान होगा ।

2. आयोग द्वारा सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनके विगत् एवं वर्तमान विद्युत बिलों संबंधी सभी विवरण को प्रदाय करने के उद्देश्य से पासबुक की संरचना कर विद्युत मण्डल को इसे उपभोक्ताओं को जारी करने हेतु निर्देश दिये गये हैं । इस पासबुक के जारी होने पर उपभोक्ता मीटर की रीडिंग की सत्यता की जाँच कर सकेगा, जिससे गलत रीडिंग एवं गलत बिलिंग की शिकायतों को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा । जहां एक ओर मीटर रीडिंग तथा विद्युत बिलों के निर्धारण में पारदर्शिता आयेगी वहीं बिल न मिलने अथवा बिल देरी से मिलने पर शिकायतें स्वतः समाप्त हो जायेगीं । इस पासबुक

में विद्युत बिल भुगतान का विवरण अंकित करने का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे उपभोक्ता को एक ही स्थान पर अपने पूर्व में किये गये भुगतान की जानकारी भी मिल सकेगी । इस पासबुक में विद्युत कनेक्शन से संबंधित अन्य जानकारी भी अंकित की गई है, जैसे विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा प्रतिमाह अनुमानित खपत की सारणी आदि, जिससे उपभोक्ता को मूलभूत जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।

:———:

आयोग द्वारा पारित आदेश के मुख्य बिन्दु

सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार कर आयोग ने दिनांक 30.11.02 को वर्ष 2002–03 हेतु टैरिफ पुनरीक्षण आदेश पारित किया, जिसका प्रकाशन प्रदेश के विभिन्न समाचार–पत्रों में किया गया । यह टैरिफ आदेश दिनांक 19.12.02 से प्रभावशील हुआ । टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. वर्ष 2002–03 के लिए रू. 5,543.93 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य स्वीकृत किया गया ।
2. आयोग ने 29 प्रतिशत निम्न दाब एवं 3 प्रतिशत उच्च दाब, इस प्रकार 15 प्रतिशत सकल विद्युत वृद्धि का आदेश पारित किया ।
3. घरेलू श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वृद्धि कम रखी गई ।
4. निम्न दाब कृषि पम्पों को उच्च दाब कनेक्शन लिये जाने को प्रेरित करने के उद्देश्य से उच्च दाब कृषि दर कम की गई और न्यूनतम प्रभार भी हटाया गया ।
5. घरेलू और गैर–घरेलू उपभोक्ताओं हेतु डिमाण्ड चार्ज आधारित विद्युत दर बनाई गईं ।

6. ग्राम पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम की भुगतान करने की क्षमता को देखते हुए जल प्रदाय एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था की विद्युत दरें बनाई गईं ।
7. कृषि पंपों का लोड फेक्टर 11.5 प्रतिशत वर्ष 2001–02 के लिए एवं 12 प्रतिशत वर्ष 2002–03 के लिए स्वीकृत किया गया ।
8. मार्च, 2003 तक 42 प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियाँ करने का लक्ष्य दिया गया ।
9. सभी पॉवर हाऊसों में कोयला आपूर्ति मापने हेतु वेटोमीटर लगाने के निर्देश दिये गये ।
10. रू. 184 करोड़ प्रति त्रैमासिक मण्डल को अग्रिम अनुदान देने हेतु राज्य शासन को निर्देश दिये गये ।
11. एकलबत्ती कनेक्शनों की सामूहिक मीटरिंग किये जाने की दशा में 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई ।
12. बन्द एवं खराब मीटरों की संख्या मार्च, 2003 तक 3 प्रतिशत लाने के निर्देश दिये गये ।
13. राजस्व संग्रहण लक्ष्य राजस्व मांग का 96 प्रतिशत रखा गया ।
14. बकायादार उपभोक्ताओं की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये ।
15. घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं को पासबुक जारी किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

:———:

6. प्रदेश के विद्युत क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य

विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण –

मध्यप्रदेश में केन्द्र वार विद्युत स्थापित क्षमता –

मध्य प्रदेश में 31 मार्च, 2003 तक केन्द्रवार विद्युत स्थापित क्षमता निम्नानुसार थी –

क्रमांक	विद्युत गृह	क्षमता (मेगावॉट) 'मध्यप्रदेश का हिस्सा	क्रियाशील वर्ष
I	ताप विद्युत गृह		
1.	अमरकंटक – I	50	1965
2.	अमरकंटक – II	240	1977,1978
3.	सतपुड़ा – I	187.5'	1967, 1970
4.	सतपुड़ा – II	410	1979, 1980
5.	सतपुड़ा – III	420	1983, 1984
6.	संजय गांधी बिरसिंहपुर – I	420	1993, 1994
7.	संजय गाधी बिरसिंहपुर – II	420	1999, 2000
	योग तापीय क्षमता	**2147.5**	
II	जल विद्युत गृह		
1.	गांधी सागर	57.5'	1960–1966
2.	राणा प्रताप सागर	86'	1968–1969
3.	जवाहर सागर	49.5'	1972–1973

4.	पेंच तोतलाडोह	107′	1986—1987
5.	रानी अवंती बाई सागर बरगी	90	1988
6.	बाण सागर टोंस I	315	1990—1992
7.	बाण सागर टोंस II	30	2002
8.	बाण सागर टोंस III	60	2001—2002
9.	बिरसिंहपुर	20	1991
10.	राजघाट	22.5	1999—2000
III	लघु/लघुत्तम जल विद्युत	5.455	
	योग जल विद्युत	**842.955**	**792.955**

विद्युत उत्पादन :—

मध्यप्रदेश में स्थापित ताप विद्युत गृहों से वर्ष 2002—03 में 14560.16 मिलियन युनिट विद्युत उत्पादित हुई एवं जल विद्युत गृहों से 1737.49 मिलियन युनिट विद्युत उपलब्ध हो सकी ।

ताप विद्युत केन्द्रों हेतु भार संयंत्र गुणांक, उत्पादन, आक्जीलरी खपत एवं तेल की खपतः—

आयोग द्वारा म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल के ताप विद्युत गृहों हेतु वर्ष 2002—03 के लिए विद्युत उत्पादन, तेल खपत इत्यादि हेतु लक्ष्य निर्धारित किये थे । लक्ष्य एवं वास्तविक प्राप्ति का वर्णन निम्नानुसार है —

क्र.	विद्युत केन्द्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	भार संयंत्र गुणांक (प्रतिशत)		उत्पादन		ऑक्जिलरी (प्रतिशत)		तेल खपत (मिली लीटर प्रति युनिट)	
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	अमरकंटक	290	53.11	58.8	1349	1443.01				
2.	सतपुड़ा	1142.5	76.1	78.82	7500	7889.07				

3.	संजयगांधी, बिरसिंहपुर	840	72.47	71.05	5333	5228.08				
	कुल तापीय	2272.5	71.25	73.14	14182	14560.16	9.11	9.58	2.29	2.87

मण्डल द्वारा वर्ष 2002–03 में तापीय विद्युत ग्रहों से किया गया उत्पादन सराहनीय है । भार संयंत्र गुणांक 73.14 प्रतिशत रहा जो आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 71.25 से भी अधिक है जबकि वर्ष 2001–02 में यह मात्र 62.9 प्रतिशत था ।

पारेषण व वितरण हानि की जिलावार जानकारी

स. क्रमांक	जिले का नाम	औसत पारेषण व वितरण हानि (दिसम्बर, 2002)
1.	मुरैना	77º44:
2.	भिण्ड	77º39:
3.	दतिया	68º81:
4.	ग्वालियर	67º95:
5.	दमोह	66º86:
6.	शिवपुरकलां	66º85:
7.	रीवा	65º80:
8.	सीहोर	61º06:
9.	शिवपुरी	59º60:
10.	छतरपुर	58º65:
11.	होशंगाबाद	58º01:
12.	हरदा	57º52:
13.	विदिशा	53º34:

14.	रायसेन	53º30:
15.	भोपाल	52º80:
16.	गुना	50º84:
17.	सतना	50º03:
18.	देवास	49º93:
19.	पन्ना	49º30:
20.	सागर	47º05:
21.	बैतूल	44º77:
22.	इन्दौर	43º29:
23.	राजगढ़	43º15:
24.	शाजापुर	42º97:
25.	कटनी	42º38:
26.	टीकमगढ़	41º59:
27.	जबलपुर	38º27:
28.	उज्जैन	37º69:
29.	नरसिंहपुर	37º50:
30.	सिवनी	34º70:
31.	बड़वानी	34º42:
32.	बालाघाट	34º00:
33.	खरगोन	33º96:
34.	नीमच	32º98:
35.	खण्डवा	32º48:
36.	धार	32º13:
37.	सीधी	31º13:

38.	रतलाम	31º07:
39.	मण्डला	28º80:
40.	मंदसौर	27º93:
41.	डिण्डौरी	27º52:
42.	झाबुआ	25º10:
43.	शहडोल	24º44:
44.	छिंदवाड़ा	22º59:
45.	उमरिया	19º46:

7. नियामक आयोग की सम्मेलन/वर्कशॉप में भागीदारी

वर्ष 2002–2003 के दौरान – म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जिन सम्मेलन/वर्कशॉप में भागीदारी सुनिश्चित की उसका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

विद्युत नियमन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

विद्युत नियमन पर नई दिल्ली में 18 एवं 19 अक्टूबर, 2002 को एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें आयोग की सक्रिय भागीदारी थी । इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकसित व विकासशील देशों में विद्युत नियमन के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर केन्द्रित था । इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका सहित दक्षिण अमेरिका, लेटिन अमेरिका, यूरोप एवं उत्तर अमेरिका के विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने–अपने देशों में विद्युत नियमन के फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र में हासिल सफलताओं एवं असफलताओं पर प्रकाश डाला । सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई :–

1. विद्युत क्षेत्र में नियमन की संरचना तथा विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन ।
2. स्वतंत्र नियमन की आवश्यकता एवं विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव ।

3. विद्युत क्षेत्र में निजी विनियोग को आकर्षित करना ।
4. विद्युत टैरिफ के सुधार से संबंधित विभिन्न विषय जैसे – अनुदान (नइेपकल), विद्युत दरों को युक्तिसंगत बनाना ।
5. विद्युत क्षेत्रों की कार्य–कुशलता में सुधार हेतु प्रयास, तथा
6. विद्युत की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार ।

विद्युत दर निर्धारण व्यवस्था पर वर्कशॉप

विद्युत दर निर्धारण व्यवस्था विषय पर 26 एवं 27 फरवरी को नई दिल्ली में पॉवर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया । इस वर्कशॉप में नियामक आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री पी.के. मेहरोत्रा द्वारा सक्रिय भागीदारी की गई एवं विद्युत दर निर्धारण व्यवस्था में नियामक आयोग एवम् राज्य शासन की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला एवं विद्यमान व्यवस्था में विसंगतियों की चर्चा कर उन्हें दूर करने पर जोर दिया । इस वर्कशॉप में नियामक आयोग के संयुक्त संचालक एवं उप संचालक की भी भागीदारी थी ।

इस वर्कशॉप में मुख्यतः निम्न विषयों पर चर्चा की गई :

1. विद्युत दर निर्धारण ढांचें का विकास ।
2. विद्युत दर निर्धारण में केन्द्रीय नियामक आयोग की भूमिका ।
3. नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दरों में न्यायिक हस्तक्षेप ।
4. विद्युत दर निर्धारण – दिल्ली में विद्युत सुधार कार्यों पर शासन का पक्ष ।

:———:

8. विद्युत रिफॉर्म (सुधार) की स्थिति

वर्तमान परिदृश्य

ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की वित्तीय स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है । वर्तमान में प्रदेश को लगभग 2000 करोड़ रू. की वार्षिक वित्तीय हानि हो रही है तथा लगभग 4870 करोड़ रू. की बकाया राशि वसूलना है । लगभग 2500 करोड़ रू. के ऐसे वित्तीय दायित्व हैं जो संसाधन–हीन हैं । म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की वित्तीय स्थिति के बिगड़ने का कारण प्रमुखतः लागत में बढ़त, राज्य सरकार द्वारा 3 प्रतिशत न्यूनतम राजस्व अर्जित करने हेतु अनुदान का न दिया जाना तथा विगत 5 वर्षों में टैरिफ का मुद्रास्फीति एवं विद्युत की लागत के समतुल्य न होना है । कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदत्त रियायती दर एवं अत्यधिक पारेषण एवं वितरण हानि इस स्थिति को और कठिन बनाते हैं ।

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल का राजस्व – व्यय विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2001	वित्तीय वर्ष 2002

	(रू. करोड़ में)	(रू. करोड़ में)
कुल राजस्व	3,707	4,029
कुल खर्चा	6,027	6,024
लाभ / (हानि)	(2,321)	(1,995)
स्त्रोत : म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल टैरिफ आवेदन 2002		

उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में आई गिरावट का प्रमुख कारण वोल्टेज एवं आवृत्ति का मानक अनुसार न होना है । उदाहरणतः माह अप्रैल, 2002 से दिसम्बर 2002 के मध्यान्ह आवृत्ति (फ्रीक्वैन्सी) लगभग 40 प्रतिशत समय 48.5 हर्ट्ज अथवा इससे भी कम थी तथा 132 के.वी. लाईन पर भी वोल्टेज में अत्यधिक उतार–चढ़ाव होता रहा है, जिससे सिस्टम की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है । वित्तीय वर्ष 2002 तथा 2003 में कितनी आवृत्ति कितने समय तक रही यह निम्नांकित चार्ट में दर्शित है ।

चार्ट 1 : वित्तीय वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 में पश्चिम ग्रिड का आवृत्ति रेखाचित्र

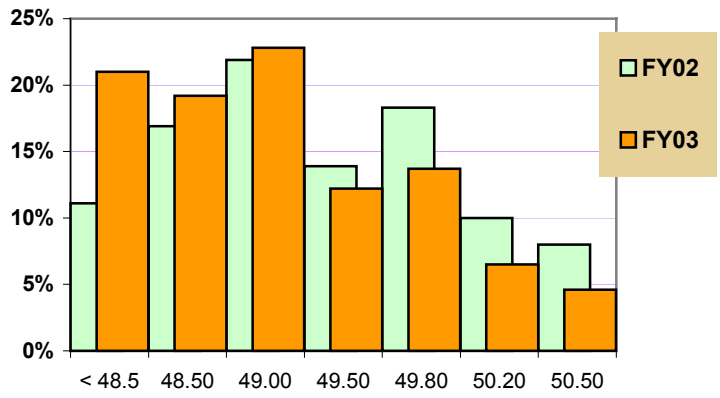

आवृत्ति (फ्रीक्वैंसी)

इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में 132 के.वी. वोल्टेज का उतार–चढ़ाव निम्न ग्राफ में दिखाया गया है ।

चार्ट 2 : 132 के.वी. लाईन पर वोल्टेज का उतार–चढ़ाव

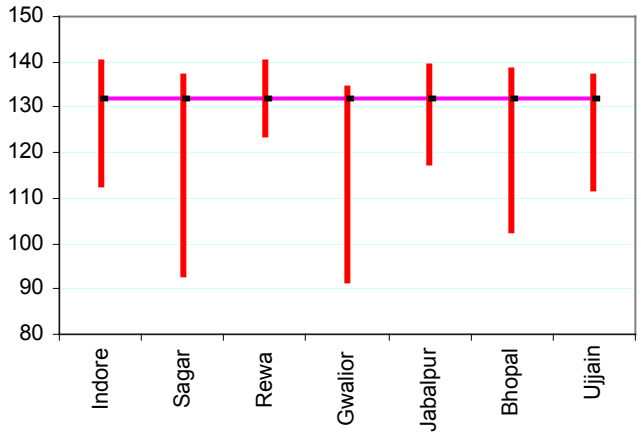

प्रदेश में विद्युत की कमी, सम्पूर्ण देश या पश्चिम ग्रिड में विद्युत की कमी की तुलना में बहुत अधिक है, जिसके कारण लगातार विद्युत कटौती करनी पड़ी । विद्युत की कम उपलब्धता के कई कारण हैं जैसे – विद्युत उत्पादन की क्षमता में कमी एवं प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर में कमी (वित्तीय वर्ष 2001 में 66.7 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2002 में 62.9 प्रतिशत) ।

ऊर्जा में तथा उच्चतम मांग में कमी मध्यप्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक है यह चार्ट में दर्शित है ।

चार्ट – 3

विद्युत में कमी

उच्चतम उपलब्धता में कमी

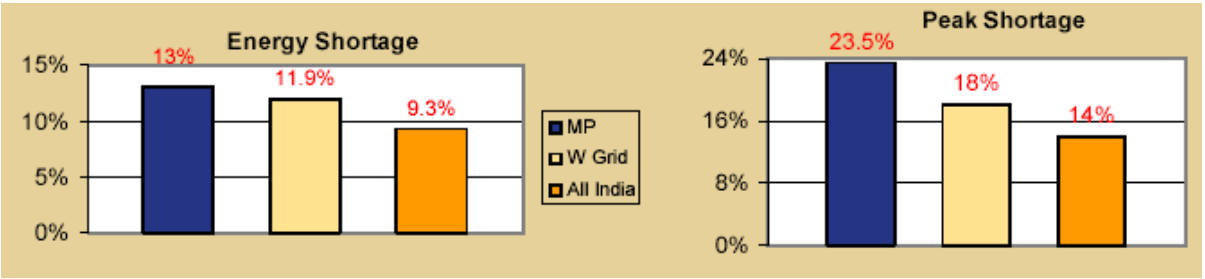

प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने एवं पारेषण व वितरण ढांचे में उत्तरोत्तर सुधार हेतु आवश्यक व्यय नहीं किया जा सका है । जिसके कारण विद्युत लाईनों व तंत्र में विद्युत भार की वृद्धि हुई व ऊर्जा ह्रास में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई । इसके अतिरिक्त, विद्युत चोरी भी अनियंत्रित रूप से बढ़ती देखी गई जिस पर मीटरिंग प्रणाली व तंत्र पर समुचित व्यय कर अंकुश लगाये जाने के ठोस प्रयास जरूरी हैं ।

आयोग के समक्ष विचारणीय विषय

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के गठन का उद्देश्य न केवल विद्युत क्षेत्र में कार्यकुशलता, प्रतिस्पर्धा एवं मितव्ययता को बढ़ावा देना है वरन् पारदर्शी एवं युक्तियुक्त रूप से टैरिफ निर्धारण एवं उत्पादन, पारेषण व वितरण संबंधी विवादों को निपटाना एवं विद्युत के पारेषण और प्रदाय के अनुज्ञप्तिधारियों के कामकाज को विनियमित करने का कार्य भी है ।

प्रदेश में ऊर्जा से संबंधित विभागों को मुख्यतः निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है :–

1. **उपभोक्ता** :– ऊर्जा का अंतिम छोर पर उपयोग करने के कारण उपभोक्ता एक प्रमुख भाग है । टैरिफ निर्धारण पर विचार के समय उपभोक्ताओं द्वारा कई याचिकाएं प्रस्तुत की गईं थीं । ये याचिकाएं विभिन्न मुद्दों यथा निम्न वर्ग उपभोक्ता, उद्योग को अनुदान (सब्सिडी) देने, कृषि उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य पर विद्युत प्रदाय करने, कृषि उपभोक्ताओं को फ्लेट रेट पर विद्युत प्रदाय करने संबंधित थीं ।

   आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य निम्न दाब व उच्च दाब पर विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ निर्धारण करना है । ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान निम्न दाब टैरिफ वास्तविक लागत से बहुत कम है (निम्न दाब उपभोक्ताओं की विद्युत दर विद्युत प्रदाय की लागत के 50 प्रतिशत से भी कम है) एवं दूसरी ओर उच्च दाब उपभोक्ताओं की विद्युत दर वास्तविक लागत से काफी अधिक है । नियामक आयोग को विद्युत दर का युक्तियुक्त निर्धारण इस प्रकार करना है कि अनुज्ञप्तिधारी को औसत लागत का कम

से कम 75 प्रतिशत, 5 वर्षों के समय में प्रतिलक्षित हो । (सैक्शन 26 (5) – विद्युत सुधार अधिनियम)

आयोग से यह अपेक्षित है कि उनके द्वारा अलाभकारी टैरिफ संरचना एवं निम्न वर्गीय उपभोक्ता जिन्हें अनुदान (सब्सिडी) दी जानी है, के संदर्भ में समस्त बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए ।

उपभोक्ता श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2002 में विद्यमान औसत टैरिफ (रू./यूनिट)	औसत विद्युत प्रदाय की लागत का प्रतिशत
निम्न दाब	**1.92**	**55 प्रतिशत**
घरेलू	1.39	55 प्रतिशत
एकल बत्ती कनेक्शन	1.59	45 प्रतिशत
गैर–घरेलू	5.24	150 प्रतिशत
कृषि	0.98	28 प्रतिशत
उद्योग	4.05	116 प्रतिशत
उच्च दाब	**3.67**	**105 प्रतिशत**
रेलवे ट्रेक्शन	4.77	136 प्रतिशत
कोल माईन्स	4.37	125 प्रतिशत
सीमेंट फैक्ट्री	4.17	119 प्रतिशत
अन्य उच्च दाब उपभोक्ता	3.99	114 प्रतिशत
सभी श्रेणी	**2.64**	**75 प्रतिशत**
स्त्रोत : म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल टैरिफ आवेदन		

आयोग द्वारा टैरिफ के युक्तियुक्तकरण के दौरान उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की क्षमता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे उपायों से अवगत कराना भी आवश्यक है । विद्युत प्रदाय की कम उपलब्धता तथा खराब गुणवत्ता के कारण कैप्टिव स्त्रोतों में बढ़ोतरी हुई है । उपभोक्ता को विद्युत चोरी अथवा विद्युत के दुरूपयोग के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है । आयोग के लिए यह अत्यावश्यक है कि उपभोक्ताओं को, मीटर से छेड़छाड़, अनधिकृत कनेक्शन, खराब मीटरों की रिपोर्ट न करने के संबंध में सूचना न देना इत्यादि के कारण ऊर्जा के सम्पूर्ण क्षेत्र में होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराये । उपभोक्ताओं को यह भी समझाना आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के यहाँ भी मीटर लगना अनिवार्य है क्योंकि तभी विद्युत का हिसाब किताब ठीक से रखकर अधिक उपलब्धता की आशा की जा सकती है ।

आयोग के सामने एक विश्वसनीय, योग्य व पारदर्शी नियमन व्यवस्था की स्थापना करना एक चुनौती है तथा यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को विभिन्न कोड्स एवं नियमों की जानकारी दी जाए ताकि उपभोक्ताओं के लिए एक सहज, सरल व सुविधाजनक वातावरण बन सके ।

2. <u>अनुज्ञप्तिधारी</u> :–

वर्तमान में आयोग के समक्ष ऊर्जा की दक्षता में उन्नयन् हेतु बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे कार्य जिसमें इस उद्योग की पुर्नसंरचना एवं पुर्नगठन सम्मिलित है, के क्रियान्वयन हेतु एक बहुत बड़ी चुनौती है । इसके साथ ही उपलब्धियों में सुधार हेतु रखे गये लक्ष्यों की पूर्ति में आ रही बाधाओं को समझने एवं दूर करने का भी उपयुक्त समय है । इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि किसी भी रूग्ण उपक्रम की क्षमता में सुधार रातों रात हो पाना संभव नहीं है । बल्कि अपेक्षित परिणाम हेतु समय लगना स्वाभाविक है ।

आयोग के कृत्य में अनुज्ञप्तिधारियों के कामकाज को विनियमित करना और दक्ष, मितव्ययी और साम्यापूर्ण रीति में कामकाज किये जाने को प्रोन्नत करना सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त आयोग को अनुज्ञप्तिधारियों से लगातार समन्वय रखना, उपलब्धियों की समीक्षा करने के नये तरीके निकालना तथा आपसी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना आवश्यक है । इस कृत्य का सही रूप से प्रतिपादन संभव हो सके इसके लिये यह आवश्यक है कि अनुज्ञप्तिधारी सहयोग करते हुए चाही गई जानकारी आयोग को समय पर प्रेषित करें ।

आयोग से अनुज्ञप्तिधारियों की विभिन्न लागतों की विवेकपूर्ण जाँच भी अपेक्षित है । आयोग की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए इसको प्राथमिकता देना आवश्यक है ताकि अनुज्ञप्तिधारियों को राजस्व की आवश्यकता तथा तद्नुसार उपभोक्ताओं को विद्युत दर सही रूप से प्रतिलक्षित हो ।

3. निवेशक

आयोग को ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि अधिक से अधिक लोग निवेश करें व उपभोक्ता को परस्पर प्रतिस्पर्धा का लाभ मिले । इसके लिए यह आवश्यक है कि आयोग के कृत्यों में पारदर्शिता, खुलापन, न्यूनतम विनियमन की आवश्यकता रहे जिससे राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों के लिए एक उपयुक्त वातावरण स्थापित हो ।

4. म.प्र. शासन :

ऐसी परिस्थितियों में जहाँ आयोग को अनुज्ञप्तिधारी की वाणिज्यिक व्यवहारिकता अनुसार यह सुनिश्चित करना है कि टैरिफ का पुर्ननिर्धारण उपयुक्त हो । शासन का इसमें कोई दखल नहीं है पर विद्युत सुधार अधिनियम शासन को इस बात के लिए स्वतंत्र करता है कि निम्न वर्ग श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुछ अनुदान दिया जा सके । विगत वर्षों में वित्तीय स्त्रोतों की कमी के कारण अनुदान राशि का नगद रूप से भुगतान किया जाना लगभग नगण्य है । जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है ।

आयोग के परामर्शदाता

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के गठन होने के पश्चात से मध्यप्रदेश ने ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में काफी गति पकड़ी है । वर्तमान में आयोग को मे. प्राइसवाटर हाऊस कूपर्स जिसको डी.एफ.आई.डी. (डिपार्टमेंट फॉर इन्टरनेशलन डेव्हलपमेंट, यू.के.) द्वारा नियुक्त किया है, द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में परामर्श दिया जाता है :–

अ. तकनीकी मानक, कोड्स, नियम व विनियम बनाना

ब. वित्तीय व आर्थिक विश्लेषण

स. प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास एवं सामान्य सहायता

उ. विनियमन प्रबंधन सूचना तंत्र विकसित करना

मेसर्स प्राईसवाटर हाऊसकूपर्स ऊर्जा सुधार के क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय स्तर के अनुभवों का लाभ प्रदान करते हुए भारत के विभिन्न प्रदेश जैसे उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं मध्यप्रदेश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं ।

परामर्शदाताओं का एक समूह भोपाल शहर में रहकर आयोग के साथ कार्यरत हैं, जो कि आयोग के कृत्यों के निर्वहन में समय–समय पर सहायता एवं नवीन विषयों एवं विनियमन कार्य करने में अपना सहयोग प्रदान करता है ।

कर्मचारीगण एवं उनकी क्षमता में वृद्धि

कर्मचारी गण :

आयोग के कार्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों का होना आवश्यक है । वर्तमान में स्वीकृत अधिकारियों की संख्या, म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम 2001 में उल्लिखित संख्या के परिपेक्ष्य में पर्याप्त नहीं है । इसलिये यह आवश्यक है कि इसकी समीक्षा करके उपयुक्त स्तरों पर अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही करें

ताकि आयोग अपने सभी कृत्यों का निर्वहन कर सके । इस संबंध में दो आवश्यक विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :–

(अ) उपयुक्त स्तरों पर अधिकारियों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाना

(ब) रिक्त पदों पर शीघ्रातिशीघ्र सक्षम लोगों की पदस्थापना

यह भी आवश्यक है कि आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की सहायता हेतु प्रतिभाशील, शैक्षणिक रूप से योग्य तकनीकी/कार्यपालक सहायक शीघ्रातिशीघ्र नियुक्त किये जाएँ ।

शैक्षणिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आयोग को आधुनिक तकनीकी प्रवृत्ति, विद्युत सुधार में विकास, पुर्नसंरचना एवं गैर सरकारीकरण में पहल करने की आवश्यकता है एवं म.प्र. में विद्युत मण्डल की दक्षता में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है । आयोग को अन्य देश/विदेश के विद्युत नियामक आयोगों के कार्यकलापों की अद्यतन जानकारी रखना है, क्योंकि कई आवश्यक आदेशों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है ।

अभिविन्यास व प्रशिक्षण के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि आयोग जानकारियों के प्रभावी व निपुण प्रबंधन पर संकेन्द्रित कर एक अच्छा ज्ञानवर्द्धक प्रबंधन तंत्र विकसित करे । जिसके लिए व सूचना तकनीक के विस्तार के लिए साधनों का उचित संरक्षण व समर्पण चाहिए । सूचना तकनीक प्रबंधक एवं एक समूह जो कि निम्नलिखित को सहारा व मजबूती प्रदान करे :–

अ. ज्ञान प्रबंधन तंत्र

ब. विश्लेषणात्मक साधन

स. कार्य की समीक्षा व प्रस्तुतीकरण तंत्र, और

द. कार्यालय आधुनिकीकरण एवं दस्तावेज प्रबंधन तंत्र

आयोग का उद्देश्य उपभोक्ता व अनुज्ञप्तिधारी के हितों का संरक्षण समान रूप से करना है एवं किसी भी विशेष भाग से प्रभावित हुए बिना उपभोक्ताओं का विश्वास अर्जित करना है । आयोग उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है ।

तकनीकी संकेतकी व नियमन

आयोग एक सही व सक्षम संकेतकी और प्रदाय संकेतकी के विकास का कार्य कर रहा है, जिसमें ग्रिड कोड तथा वितरण कोड भी सम्मिलित है ताकि म.प्र. के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार किया जा सके एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दी जा सके । इसके अतिरिक्त अन्य संकेतकी यथा मीटरिंग कोड, संचालन कोड, कनेक्शन कोड इत्यादि भी विकास की ओर अग्रसर हैं । कुछ अन्य संकेतकी एवं मानक, जो कि आयोग द्वारा बनाए जायेंगे, में सिस्टम प्लानिंग एवं सिक्यूरिटी मानक, सुरक्षा नियम, विद्युत वितरण के नियम व शर्तें इत्यादि सम्मिलित हैं ।

आयोग ने कैप्टिव पॉवर प्लांट नियमन बना लिये हैं । आयोग के अंतर्निहित पारदर्शिता बढ़ाने एवं कार्यपद्धति को सरल व उसके मानकीकरण के लिए, आयोग ने म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 1999 निर्मित किया है ।

उपभोक्ता द्वारा उपक्रमण

विद्युत नियमन के परिवेश में, अनुज्ञप्तिधारियों को कार्य करने व कार्यपद्धति का अनुसरण करने के लिए पारदर्शी व प्रभावशाली होना आवश्यक है । आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों व उपभोक्ताओं द्वारा अनुसरण करने हेतु नियम व संकेतकी का प्रकाशन करने की ओर अग्रसर है ताकि दोनों के लिए अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व हो । इससे उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता में सुधार, निरंतरता एवं अनुज्ञप्तिधारियों में विश्वसनीयता बढ़ेगी ।

संकेतकी को अभिलिखित करने के अतिरिक्त, आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन संकेतकी व नियमों का अनुपालन किया जाए एवं इसकी प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करेगा ।

वर्तमान में निम्नलिखित संकेतकी के विकास का कार्य किया जा रहा है :–

(अ) म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (प्रदाय एवं वितरण) संकेतकी

(ब) उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया

(स) उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान हेतु कार्य संहिता एवं विद्युत बिलों का भुगतान न करने पर विद्युत संयोजन के विच्छेदन की प्रक्रिया.

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (प्रदाय एवं वितरण) संकेतकी में निम्नलिखित गतिविधियों का समावेश होगा :–

1. नवीन विद्युत संयोजन की प्रक्रिया
2. विद्युत प्रदाय तंत्र एवं उपभोक्ताओं का वर्गीकरण
3. विद्युत प्रदाय बिंदु एवं उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण
4. उपभोक्ता के परिसर में विद्युत तार एवं उपकरण व उनका परीक्षण
5. संबद्ध भार की गणना एवं संविदा माँग
6. विद्युत भार को कम व अधिक करने हेतु प्रक्रिया
7. उपभोक्ता व अनुज्ञप्तिधारी के बीच अनुबंध प्रपत्र

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया में उपभोक्ताओं की शिकायत के निराकरण की प्रक्रिया व समय सूची का विवरण दिया है । आमतौर पर आने वाली निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों के संबंध में विस्तार से प्रक्रिया में चर्चा की गई है :–

1. विद्युत प्रदाय में व्यवधान
2. वोल्टेज से संबंधित शिकायतें
3. विद्युत कटौती/समयबद्ध कटौती
4. मीटर से संबंधित शिकायतें
5. विद्युत बिल से संबंधित शिकायतें
6. विद्युत प्रदाय के संयोजन व विच्छेदन
7. नवीन विद्युत संयोजन में देरी
8. अन्य शिकायतें ।

उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान हेतु कार्य संहिता एवं विद्युत बिलों का भुगतान न करने पर विद्युत संयोजन के विच्छेदन की प्रक्रिया में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विवरण दिया है :–

1. विद्युत बिलों को तैयार कर प्रेषित करना एवं उसकी समय सारिणी.
2. विद्युत बिल की विषय सूची
3. विद्युत बिलों के भुगतान की प्रक्रिया व विकल्प
4. विद्युत बिल का भुगतान न करने पर विच्छेदन

आयोग अत्यधिक इच्छुक है कि उपरोक्त संकेतकी को परामर्श व समन्वय की प्रक्रिया द्वारा अंतिम रूप दिया जाए एवं इसके लिए आयोग द्वारा जन–सुनवाई की जायेगी । सभी उपभोक्ता समूहों से अपेक्षा है कि वे इस जन सुनवाई प्रक्रिया में भाग लें एवं अपने अमूल्य सुझाव दें ।

पारेषण कम्पनी व वितरण कम्पनी को अनुज्ञप्ति :

ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कुशलता, मितव्ययिता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु पुर्नसंरचना की पहल तीन वितरण कम्पनियाँ, एक उत्पादन कम्पनी एवं एक पारेषण कम्पनी बनाने तक ही सीमित है । म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल का अभी भी सभी आस्तियों व दायित्वों पर सम्पूर्ण अधिकार है । लेकिन मण्डल ने इन कम्पनियों से काम काज करने का अनुबंध किया है ।

वित्तीय पुर्नसंरचना योजना के सुनिश्चित हो जाने पर, इन कंपनियों की अंतरिम अंतरण स्कीम अधिसूचित की जाएगी । परन्तु, इससे पहले कि ये कम्पनियाँ स्वतंत्र आस्तियों व दायित्वों एवं आय व व्यय प्रवाह के साथ कार्य करें, इनको आयोग के समक्ष अनुज्ञप्ति हेतु प्रारूप अनुज्ञप्ति के साथ आवेदन करना होगा ।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया वांछित है :–

1. अनुज्ञप्ति के प्रारूप का अनुमोदन एवं इसके प्रदान हेतु अधिसूचना
2. जन–सुनवाई का आयोजन
3. स्थानीय निकायों से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना
4. पंजीयन के तीन माह के भीतर प्राप्त आपत्तियां
5. पंजीयन के 14 दिवस के भीतर सूचना का प्रकाशन
6. आवेदक को पावती प्रदान की जावेगी
7. विद्युत प्रदाय अधिनियम 1910 के अंतर्गत आवेदन देना
8. आवेदक द्वारा प्रारूप अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करना
9. समाचार पत्र/अधिसूचना के माध्यम से आवेदकों को आमंत्रित किया जा सकता है ।

कम्पनियों द्वारा प्रारूप अनुज्ञप्ति प्रपत्र म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया था, परन्तु उसमें कई मुद्दों पर चर्चा आवश्यक थी । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संचालन व प्रबंधन अनुबंध को जारी मानते हुए अनुज्ञप्ति के विभिन्न कृत्यों जैसे वार्षिक लेखा, ऊर्जा क्रय एवं पूंजी निवेश निर्णयों के निर्वाह को अनदेखा किया गया ।

जिसके परिणामस्वरूप आयोग द्वारा एक प्रारूप अनुज्ञप्ति बनाई गई एवं विभिन्न कंपनियों को भेज दी गई है । प्रत्युत्तर की आयोग को प्रतीक्षा है, जिसके पश्चात् जन सुनवाई की प्रक्रिया की शुरूआत की जायेगी ।

प्रारूप अनुज्ञप्ति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित हैं :–

1. **<u>आयोग के पूर्वानुमति के अभाव में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कारोबार करना</u>**

अनुज्ञप्तिधारी को ऊर्जा क्रय हेतु कुछ सीमा तक स्वतंत्रता प्रदत्त है, जिसके अंतर्गत वह ऊर्जा का आयात या खरीदी किसी बड़े विक्रेता से, जिसके जनरेटर

की स्थापित क्षमता 5 मेगावाट से कम हो, अल्पकालीन अवधि के लिए व आयोग द्वारा अनुमोदित दर पर की जा सकती है ।

2. **लेखा :**

अनुज्ञप्तिधारी प्रथम छः माह अंतरिम लाभ/हानि लेखा, रोकड़ विवरणियां एवं तुलना पत्र दस्तावेजों सहित आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

3. **निवेश :**

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के समक्ष सम्पूर्ण विवरण सहित एक पंचवर्षीय निवेश योजना (जो कि अनुज्ञप्ति कालांतर में उसके द्वारा किये जाने वाले निवेश) प्रस्तुत करनी होगी । आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में उपरोक्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जावेगी ।

4. **सूचना का व्यवस्थापन :**

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतरण योजना के प्रभावशील होने की दिनांक से दो माह के भीतर एक पंचवर्षीय व्यवसायिक योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं प्रत्येक वर्ष इसे सामयिक करेगा ।

5. **आस्तियों का अंतरण :**

अनुज्ञप्तिधारी एक संपादन अथवा उससे संबंधित एक से अधिक संपादनों में किसी भी भूमि अथवा भवन या अन्य संपत्ति जिसकी कीमत प्रस्तावित अंतरण के समय दस लाख या उससे अधिक हो का अंतरण एवं संचालन या नियंत्रण को छोड़ नहीं सकेगा ।

6. **अनुज्ञप्ति फीस :**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को विगत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने विद्युत प्रदाय के क्षेत्रान्तर्गत बिल की गई राशि का 0.03 प्रतिशत वार्षिक फीस के रूप में जमा करनी होगी ।

7. **अनुमानित राजस्व गणना एवं टैरिफ :–**

अनुज्ञप्तिधारी संचयी राजस्व एवं सेवा की लागत का आने वाले वित्तीय वर्ष का सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर के पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष अनेकानेक–वर्षीय टैरिफ की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकने हेतु सक्षम हैं ।

:———:

9. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 2002–2003 मांग– 12 मुख्य शीर्ष–2045 –800(8880) शीर्ष नव गठित म.प्र. विद्युत नियामक आयोग की स्थापना

मद का नाम	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय
1	2	3
अधिकारियों का वेतन	1700000	1769630
कर्मचारियों का वेतन	1250000	1540292
मंहगाई भत्ता	1345000	783310
मकान किराया भत्ता	200000	173736
अन्य भत्ते	130000	246574
चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	325000	103096
अवकाश यात्रा भत्ता	1100000	88647
योग वेतन	**5060000**	**4705285**

मजदूरी	**5000**	**8077**
यात्रा व्यय	**400000**	**368546**
कार्यालय व्यय		
डाक एवं तार	10000	28000
दूरभाष	215000	219819
फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	525000	1008512
वर्दिया	5000	——
पुस्तके / पत्रिकाऐं	110000	23664
बिजली एवं जल प्रभार	180000	158650
लेखन सामग्री	150000	201705
योग कार्यालय व्यय	**1195000**	**1640350**
अनुरक्षण	110000	100565
पैट्रोल तेल आदि	270000	216537
व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु अदायगियां	1000000	1023166
किराया, महसूल और कर	370000	230520
सेमीनार / सम्मेलन	660000	548255
अन्य प्रभार		
प्रशिक्षण	60000	—
मटेरियल का क्रय	10000	25035
कुल योग	**9140000**	**8866336**

अनुसूची – 1

10. कैप्टिव पावर संयंत्र – सहमति हेतु नियमन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 की धारा 21 (3) के अन्तर्गत कैप्टिव पावर संयंत्र हेतु सहमति प्रदान करने बाबत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने विनियम, दिनाँक 28 फरवरी, 2003 बनाये, जिसकी अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 7 मार्च 2003 में प्रकाशित की गयी । ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 की धारा 55 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा बनाए गए हैं । इन विनियमों के प्रावधान राज्य शासन द्वारा दिनाँक 24 जनवरी, 2003 को जारी कैप्टिव पॉवर पालिसी के अनुरूप है । विनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

(प) कैप्टिव पॉवर प्लांट को लगाने की सहमति सामान्यतः संविदा मांग या संयोजित भार (जो भी लागू हो) से 1.5 गुनी तक की कुल स्थापित क्षमता के लिए विचारणीय होगी ।

(पप) एक मेगावाट से अधिक क्षमता के कैप्टिव पॉवर प्लांट को समानान्तर प्रचालन की अनुमति दी जा सकेगी सिवाय अपराम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के, जिन्हें 1 मेगावाट से कम क्षमता हेतु आयोग की स्वीकृति के अधीन अनुमति दी जा सकेगी ।

(पपप) कैप्टिव पॉवर प्लांट की उत्पादन क्षमता इसकी अपनी आवश्यकताओं से अधिक होने की दशा में अधिशेष विद्युत यूटिलिटी को आयोग के अनुमोदन एवं स्वीकृति पर विक्रय की जा सकती है । इस उद्देश्य हेतु कैप्टिव पॉवर प्लांट को युटिलिटी के ग्रिड के समानांतर चलाने की पात्रता होनी चाहिये ।

(पअ) यूटिलिटी द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट से क्रय विद्युत हेतु क्रय दर यूटिलिटी की औसत उत्पादन लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए । कैप्टिव पॉवर प्लांट के मालिक द्वारा यूटिलिटी को अधिशेष विद्युत के विक्रय की दरें एवं शर्तें, आयोग की स्वीकृति के अधीन होंगी ।

(अ) 25 मेगावाट से अधिक क्षमता के कैप्टिव पॉवर प्लांट को छोड़कर, सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदनों का आयोग द्वारा प्राप्ति दिनांक से 3 माह के भीतर निराकरण किया जायेगा ।

;अप) 100 के.व्ही.ए. तक कुल क्षमता के कैप्टिव पॉवर प्लांट की संस्थापन हेतु आयोग की अनुमति लेने से छूट होगी. तथापि कैप्टिव पॉवर प्लांट स्वामी को, संस्थापन के पूर्व युटिलिटी को सूचना देना सुनिश्चित करना होगा ।

(अपप) कैप्टिव पॉवर प्लांट के संस्थापन की अनुमति, उसी दिशा में प्रदान की जायेगी जबकि उपयोगकर्ता पर युटिलिटी की कोई राशि बकाया न हो ।

(अपपप) कैप्टिव पॉवर प्लांट के मालिकों को मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित कैप्टिव पॉवर प्लांट से स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत ऊर्जा के व्हीलिंग की अनुमति दी जा सकेगी । व्हीलिंग प्रभार का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा ।

(पग) कैप्टिव पॉवर प्लांट की संस्थापना या नवीनीकरण हेतु सहमति सामान्यतः 5 वर्षों की समयावधि हेतु दी जायेगी । 5 वर्ष उपरान्त कैप्टिव पॉवर प्लांट मालिकों को आयोग से नवीनीकरण हेतु अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(ग) सभी कैप्टिव पॉवर प्लांट के मालिकों को विद्युत सुरक्षा के सम्बंध में मुख्य विद्युत निरीक्षक, मध्यप्रदेश शासन से आवश्यक अनुमति/स्वीकृति एवं राज्य/केन्द्र सरकार या उनकी सम्बंधित एजेंसियों से सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी होंगी ।

(गप) अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोत (एम.एन.ई.एस. के अनुसार परिभाषित) एवं सह–उत्पादन आधारित कैप्टिव पॉवर प्लांट पर क्षमता की सीमा लागू नहीं होगी और उनको निरन्तर प्रयोग हेतु अनुमति देने बाबत विचार किया जायेगा.

:———: